न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 37/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/44

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री नितेश पुत्र कान्तिलाल जैन, मैसर्स कान्तिलाल सोहनलाल एण्ड ब्रदर्स, मोहन कॉलोनी बॉम्बे बिल्डिंग बॉसवाडा
2. श्री कान्तिलाल पुत्र पन्नालाल जैन, मालिक, सोहनलाल एण्ड ब्रदर्स, मोहन कॉलोनी बॉम्बे बिल्डिंग बॉसवाडा
3. Vasudev Jhamatmal Salvani, m/s Poonam confectionery works, 151-152/3, Near Bank of Baroda, Phase II nd, GDIC Naroda, Ahmedabad

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 11.11.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा (राज) के द्वारा दिनांक 09–07–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 08–03–2021 को 02.00 पी.एम. बजे वाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स – कान्तिलाल सोहनलाल एण्ड ब्रदर्स, मोहन कॉलोनी बॉम्बे बिल्डिंग** बॉसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री नितेश पुत्र कान्तिलाल जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **Sugar Boiled Confectionery (Brand-CRYSTAL) के 400–400 ग्राम के 25 पैकेट** आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें मिलावट का शक होने पर वास्ते जॉच हेतु खरीदने की सूचना देते हुए उक्त **Sugar Boiled Confectionery (Brand-CRYSTAL) के चार पैकेट** विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गए तथा इनकी कीमत 280 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। खरीद किये गये **Sugar Boiled Confectionery (Brand-CRYSTAL)** के चार पैक मुल पैक के चार भाग कर प्रस्येक भाग पर डी.ओ एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सिरीयल नंबर W-750 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना पैकेट को नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया। उक्त चार नमूना भागो में से एक नमूना ... फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर ... स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया। ... पर **m/s Poonam confectionery works, 151-152/3, Near Bank of Baroda, Phase II nd, GDIC Naroda, Ahmedabad** ... बिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:28 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

क्रमांक 2210 दिनांक 27.01.2021 की प्रति पेश की जिसके द्वारा उक्त **Sugar Boiled Confectionery (Brand-CRYSTAL)** की खरीद की गई है।

डी.ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/165-166 दिनांक 09.04.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 48 दिनांक 08.03.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Sugar Boiled Confectionery (Brand-CRYSTAL)** Violate food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZI)(A)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा **Sugar Boiled Confectionery (Brand-CRYSTAL)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 12-07-2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 04.08.2021 को अभियुक्तगण सं. 1 व 2 उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी सं. 3 की ओर से रजिस्टर्ड डाक से जवाब प्राप्त हुआ। दिनांक 06.09.2021 को अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री एस.ए. शेख अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालात नामा प्रस्तुत किया। जिसके पश्चात् आज दिनांक 11.11.2021 तक अभियुक्त सं. 3 स्वयं अथवा अभियुक्त सं. 3 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अतः अभियुक्त सं. 3 की ओर से बहस बन्द की जाती है। दिनांक 11.11.2021 को अभियुक्तगण सं. 1 व 2 ने उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगण सं. 1 व 2 को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। डी.ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/165-166 दिनांक 09.04.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 48 दिनांक 08.03.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Sugar Boiled Confectionery (Brand-CRYSTAL)** Violate food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZI)(A)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा **Sugar Boiled Confectionery (Brand-CRYSTAL)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(ZI)(A)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड किया **Sugar Boiled Confectionery (Brand-CRYSTAL)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा

न्याय निर्णायक अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपीगण को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री नितेश पुत्र कान्तिलाल जैन, मैसर्स कान्तिलाल सोहनलाल एण्ड ब्रदर्स, मोहन कॉलोनी बॉम्बे बिल्डिंग बॉसवाडा को 5000/– (अक्षरे रू. पॉच हजार मात्र), श्री कान्तिलाल पुत्र पन्नालाल जैन, मालिक, सोहनलाल एण्ड ब्रदर्स, मोहन कॉलोनी बॉम्बे बिल्डिंग बॉसवाडा को 5000/– (अक्षरे रू. पॉच हजार मात्र), Vasudev Jhamatmal Salvani, m/s Poonam confectionery works, 151-152/3, Near Bank of Baroda, Phase II nd, GDIC Naroda, Ahmedabad को 30000/– (अक्षरे रू. तीस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner